

अनुदान संख्या 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 88 – MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	4374,00,00		
		4374,05,00	4035,16,82	-338,88,18
पूरक	Supplementary	5,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			331,19,51
पूंजीगत :	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	200,00,00		
		225,00,00	225,00,00	..
पूरक	Supplementary	25,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services			
मू.	O.	1921.00		
			2199.00	2174.57
पु.	R.	278.00		-24.43

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head 2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	28405.00		
पू.	S.	3.00	24220.86	23932.42
पु.	R.	-4187.14		-288.44
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	44318.00		
पू.	S.	2.00	34515.09	34263.44
पु.	R.	-9804.91		-251.65
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	17400.00		
		
पु.	R.	-17400.00		..
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	344240.00		
			342884.15	342831.46
पु.	R.	-1355.85		-52.69

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1110.00			
			464.39	313.38	-151.01
पु.	R.	-645.61			

(I) ₹29080.00 लाख का प्रावधान तैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹27350.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹29080.00 lakhs remained wholly unutilised under forty three heads; of these ₹27350.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes:-

(क) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" - ₹400.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Post Matric Scholarships" - ₹400.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territory Administrations.

(ख) "हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" - ₹450.00 लाख कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(b) "Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" - ₹450.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from implementing agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को सहायता" - ₹1000.00 लाख योजना आयोग से स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations/Panchayati Raj Institutions for Construction of Old Aged Homes" - ₹1000.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(C) Major Head "2552" -

- (क) “समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण” -
- (i) “विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण” - ₹1200.00 लाख;
- (ii) “विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम” - ₹500.00 लाख;
- (iii) “दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम” - ₹1300.00 लाख;
- (iv) “राष्ट्रीय संस्थानों को निधीयन के लिए स्कीमें” - ₹700.00 लाख;
- (ख) “समाज कल्याण - मद्यनिषेध - मद्यनिषेध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा कार्य” - ₹500.00 लाख;
- (ग) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा” -
- (i) “बालक और बालिका छात्रावास” - ₹500.00 लाख;
- (ii) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - ₹3500.00 लाख;
- (iii) “मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” - ₹500.00 लाख;
- (घ) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -
- (i) “अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें” - ₹1500.00 लाख;
- (ii) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - ₹2500.00 लाख; और
- (iii) “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” - ₹1200.00 लाख।
- (a) “Social Welfare – Welfare of Handicapped” –
- (i) “Aids and Appliances for the Handicapped” – ₹1200.00 lakhs;
- (ii) “Schemes for implementation of Persons with Disabilities Act, 1995” – ₹500.00 lakhs;
- (iii) “Deen Dayal Disabled Rehabilitation Schemes” – ₹1300.00 lakhs;
- (iv) “Schemes for funding to National Institutes” – ₹700.00 lakhs;
- (b) “Social Welfare – Prohibition – Education Work for Prohibition and Drug Abuse Prevention” – ₹500.00 lakhs;
- (c) “Welfare of Backward Classes – Education” –
- (i) “Boys and Girls Hostels” – ₹500.00 lakhs;
- (ii) “Post Matric Scholarship” – ₹3500.00 lakhs;
- (iii) “Pre-Matric Scholarship” – ₹500.00 lakhs;
- (d) “Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (i) “Schemes under Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan” – ₹1500.00 lakhs;
- (ii) “Post Matric Scholarship” – ₹2500.00 lakhs; and
- (iii) “Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana” – ₹1200.00 lakhs.

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (iv) “बाल छात्रावास” - ₹150.00 लाख; और
(v) “बालिका छात्रावास” - ₹600.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ड) “समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता”-

- (i) “स्वैच्छिक संगठनों को वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए सहायता” - ₹400.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।
(ii) “स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए सहायता” - ₹1250.00 लाख;

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” -

- (क) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग महिलाओं को जन्म के बाद अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वित्तीय सहायता” - ₹400.00 लाख;
(ख) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-
(i) “समाज कल्याण - अन्य अनुदान - वृद्धाश्रमों का निर्माण” - ₹7750.00 लाख; और

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (iv) “Boys Hotels” – ₹150.00 lakhs; and
(v) “Girls Hostels” – ₹600.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from the State Governments located in North Eastern Region and Sikkim.

(e) “Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations” –

- (i) “Assistance to Voluntary Organisations for Programme relating to Aged” – ₹400.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
(ii) “Assistance to Voluntary Organisations/ Panchayati Raj Institutions for Construction of Old Aged Homes” – ₹1250.00 lakhs;

(D) Major Head “3601” –

- (a) “Grants for Central Plan Schemes - Social Welfare – Welfare of Handicapped– Financial Assistance to Women with Disabilities to look after their Children after Birth” – ₹400.00 lakhs;
(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –
(i) “Social Welfare – Other Grants – Construction of Old Age Homes” – ₹7750.00 lakhs; and

- (ii) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - अधिसूचना से हटाई गई और यायावर जनजातियों का शैक्षिक और आर्थिक विकास” - ₹900.00 लाख।

- (ii) “Welfare of Backward Classes – Education – Educational and Economical Development of De-notified and Nomadic Tribes” – ₹900.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-approval of the schemes by the Planning Commission.

(ड) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - ₹150.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(E) Major Head “3602” – “Grants for Centrally sponsored Plan Schemes – Welfare of Backward Classes – Education – Post-Matric Scholarship” – ₹150.00 lakhs – due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Administrations.

(II) मुख्य शीर्ष “2225” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head “2225” – savings occurred under the following heads:-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -

(A) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes” –

(क) “राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अध्येतावृत्ति” - ₹1500.00 लाख की बचत (₹15900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चयन प्रक्रिया के पूरा न होने की वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) “Rajiv Gandhi National Fellowship for SCs” – saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15900.00 lakhs) was due to requirement of less funds by University Grants Commission owing to non-completion of selection process.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए श्रेष्ठ शिक्षा” - ₹984.57 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुत सारी संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) “Top Class Education for SCs” – saving of ₹984.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from many Institutions.

(ग) “अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति” - ₹139.20 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से प्रतिपूर्ति संबंधी पर्याप्त दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) “Scholarship to Students of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad” – saving of ₹139.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate reimbursement claims from Ministry of External Affairs.

(घ) “अनुसूचित जातियों संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - ₹456.70 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों

(d) “Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes” – saving of ₹456.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-receipt of

से पर्याप्त सिफारिशों/निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।

adequate recommendations/Inspection reports from the State Governments.

- (ड) “अखिल भारतीय अथवा अंतरराज्यीय प्रकृति की अनुसूचित जातियों की सहायक परियोजनाएं (अनुसंधान और प्रशिक्षण)” - ₹182.45 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (e) “Supporting Projects of All India or Inter-State nature of Scheduled Castes (Research and Training)” – saving of ₹182.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals.
- (खा) “पिछड़े वर्गों का कल्याण” -
- (B) “Welfare of Backward Classes” –
- (क) “शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - ₹148.11 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (a) “Education – Post Matric Scholarship” – saving of ₹148.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Administrations.
- (ख) “अन्य व्यय - पिछड़े वर्गों संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - ₹284.65 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से गैर सरकारी संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (b) “Other Expenditure – Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes” – saving of ₹284.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals of Non-Governmental Organisations from State Governments.
- (III) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (III) Under Major Head “2235” – “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “विकलांगों का कल्याण - अन्य स्कीमें” - ₹5793.92 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.75 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22905.75 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (A) “Welfare of Handicapped – Other Schemes” – saving of ₹5793.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22905.75 lakhs including token supplementary grant of ₹0.75 lakh obtained in August, 2010);
- (खा) “मद्यनिषेध - मद्यनिषेध संबंधी शिक्षा कार्य” - ₹669.09 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (B) “Prohibition – Education work for Prohibition” – saving of ₹669.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs);
- (गा) “सुधारात्मक सेवाएं - राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान” - ₹220.00 लाख की बचत (₹1010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (C) “Correctional Services – National Institute of Social Defence” – saving of ₹220.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1010.00 lakhs);
- (घा) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” -
- (D) “Assistance to Voluntary Organisations” –

- (क) “स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता” - ₹201.00 लाख की बचत (नवंबर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ख) “वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - ₹1533.07 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों/कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव विलंब से/प्राप्त न होने के कारण हुईं।
- (ड) “अन्य कार्यक्रम - सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ” - ₹888.73 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ विज्ञापन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (क) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -
- (क) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अतिरिक्त कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन” - ₹110.57 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 कार्यान्वयन स्कीम” - ₹3872.07 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (खा) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-
- (क) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -
- (a) “Assistance to Voluntary Organisations for providing Social Defence Services” – saving of ₹201.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2010); and
- (b) “Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged” – saving of ₹1533.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs).
- Savings under the above five heads were due to late/non-receipt of adequate proposals from Voluntary Organisations/implementing agencies.
- (E) “Other Programmes – Information and Mass Education Cell” – saving of ₹888.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-approval of some advertisement proposals.
- (IV) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-
- (A) “Grants for Central Plan Schemes” –
- (a) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes – Upgradation of Merit of SCs and STs Students through extra coaching”- saving of ₹110.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs);
- (b) “Social Welfare – Welfare of Handicapped– Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995”- saving of ₹3872.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs);
- (B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –
- (a) “Welfare of Scheduled Castes-Special Component Plan for Scheduled Castes”-

- | | |
|--|---|
| (i) “मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” - ₹1998.32 लाख की बचत (₹7840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; | (i) “Pre-Matric Scholarship” - saving of ₹1998.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7840.00 lakhs); |
| (ii) “कोचिंग और अनुषंगी स्कीमें” - ₹190.53 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; | (ii) “Coaching and Allied Schemes” – saving of ₹190.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); |
| (iii) “बाल छात्रावास” - ₹1905.83 लाख की बचत (₹4050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; | (iii) “Boys Hostels” – saving of ₹1905.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4050.00 lakhs); |
| (iv) “बालिका छात्रावास” - ₹2775.12 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; | (iv) “Girls Hostels” – saving of ₹2775.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs). |

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due to non-receipt/late receipt of adequate proposals from State Governments.

- | | |
|--|---|
| (v) “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” - ₹29100.00 लाख की बचत (₹38800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीम में संशोधन किए जाने को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई। | (v) “Pradhan Mantri Adrash Gram Yojana” – saving of ₹29100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38800.00 lakhs) was due to non-approval of modification in scheme by the Planning Commission. |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| (ख) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - बालक और बालिका छात्रावास” - ₹1220.55 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और | (b) “Welfare of Backward Classes – Education– Boys and Girls Hostels” – saving of ₹1220.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs); and |
|---|--|

(V) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” के अंतर्गत ₹200.00 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes – Post Matric Scholarship” – saving of ₹ 200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from State Governments/Union Territory Administrations.

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹376.18 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under five heads savings of ₹376.18 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 30 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹43977.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांग के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹43977.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in August, 2010 and March, 2011 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "बाल छात्रावास" - ₹500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹483.40 लाख था।

(a) "Boys Hostels" - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹483.40 lakhs.

(ख) "परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान" - ₹153.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹153.19 लाख था।

(b) "Grants to Non-Government Institutions for running Pre-examination Training Centres" - ₹153.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹153.19 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार" - ₹396.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹392.87 लाख था।

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Oarhopaedically Handicapped" - ₹396.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹392.87 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम" - ₹42927.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹42920.83 लाख था।

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes-Special Component Plan for Scheduled Castes - Post-Matric Scholarship Scheme" - ₹42927.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹42920.83 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" - ₹253.57 लाख का अधिक व्यय (₹1921.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छटे

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Social Justice and Empowerment" - excess of ₹253.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1921.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards

केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जाति संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीम” - ₹407.19 लाख का अधिक व्यय (₹58300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(i) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के लिए मशीनरी”- ₹1206.40 लाख का अधिक व्यय (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा” -

(1) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम” - ₹4130.68 लाख का अधिक व्यय (₹31200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(2) “मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति” - ₹149.35 लाख का अधिक व्यय (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(B) Major Head “3601” -

(a) “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Scheme under Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan” – excess of ₹407.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58300.00 lakhs);

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(i) “Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes– Machinery for Implementation of protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989” – excess of ₹1206.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs);

(ii) “Welfare of Backward Classes – Education” -

(1) “Post-Matric Scholarship Scheme” – excess of ₹4130.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31200.00 lakhs); and

(2) “Pre-Matric Scholarship” – excess of ₹149.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes			
मू.	O.	14500.00		
पू.	S.	2500.00	17500.00	17500.00
पु.	R.	500.00		..
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare			
मू.	O.	4500.00		
पु.	R.	500.00	5000.00	5000.00
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	1000.00		
पु.	R.	-1000.00

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹900.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹900.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" under the following heads:-

(का) “सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम” - ₹400.00 लाख; और

(खा) “समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम” - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “4225” - “सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम” - ₹400.00 लाख का अधिक व्यय (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष “4235” - “समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम” - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) “General (Capital Outlay on Welfare of SCs, STs and Other Backward Classes) – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Finance Development Corporations for Weaker Sections” – ₹400.00 lakhs; and

(B) “Social Welfare – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Handicapped Finance and Development Corporation” – ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “4225” – “General – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Finance Development Corporation for Weaker Sections” – excess of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs); and

(II) Major Head “4235” – “Social Welfare - Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Handicapped Finance and Development Corporation” – excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.